

दलित सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

□ डॉ. रविदास अहिरवार

सूचक शब्द: दलित सशक्तीकरण, मनरेगा की भूमिका
भारत में सामाजिक सुरक्षा उपायों का पुनरावलोकन

दर्शाता है कि 1990 तक, अधिकांश योजनाएं केवल संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए उपयोगी और सहयोगी थीं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का बहुमत सामाजिक सुरक्षा प्रावधान से बाहर था। गरीबी दूर करने के कार्यक्रम भारत के असंगठित क्षेत्र के कुछ समूहों को राहत पहुंचाते थे और उन्हें कल्याणकारी अनुदान प्रदान करते थे। 1990 के आरंभ से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन, और मजबूत राजनैतिक प्रतिबद्धता के बाद बहुत से सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम आरंभ किए गये।

इक्कीसवीं सदी का वैश्विक समाज लघुत्तम विचारों और लघु योजनाओं के वृहद लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये तेजी से आगे बढ़ रहा है। परन्तु विषमताएँ आज भी हमें देखने को मिलती हैं। और यहीं विषमताएँ विकास के मार्ग में बाधक होती हैं। समाज में जितनी विषमताएँ होंगी समाज के विकास में उतनी ही कठिनाई पैदा होगी। भारत की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का इतिहास बहुत पुराना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही समाज कल्याण को लेकर

विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं जैसे हासियें पर रहें शोषित वर्गों के लिये भी योजनाओं को

प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली तहसील के गाँवों में निवासरत्न मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित आँकड़ों पर आधारित है, अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार जो कि मनरेगा जैसी महात्वाकांक्षी योजना में सम्मिलित हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो रहा है तथा उनमें अपनी कार्य क्षमता के विकास के साथ-साथ व्यवसायिक गतिशीलता सामाजिक सुरक्षा, अपने भविष्य के प्रति उत्तरदायी क्षमता विकसित हो रही है, साथ ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता शिक्षा का महत्व, साक्षरता, स्वच्छता भी देखने को मिलती है। समाज की अपनी परम्परागत संरचना एवं कार्य के आधार पर इस क्षेत्र में वर्ग विशेष के लोग अपनी मर्यादाओं के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। यह बात भी देखने को मिली कि कुछ परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे हैं जो कि विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न होकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान है मनरेगा का, जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को होता है मनरेगा द्वारा प्रत्येक परिवार को 100 दिन के निश्चित गारंटी के तौर पर रोजगार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में खास कर महिलाओं में एक आत्म सम्मान के साथ उस स्थिति से छुटकारा प्राप्त हुआ जब 10 से 12 घण्टे श्रम करने पर भी 100 से 150 रु. ही दिये जाते थे। अधिकांश उत्तरदाता यह मानते हैं कि मनरेगा से हमारे सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पलायन की स्थिति, एवं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है।

कानूनी रूप दिया जाने लगा। और कानूनी रूप में लागू भी किये गये। विशेष विशेषकर पंचायती राज व्यवस्था में इन जातियों के कल्याण को लेकर अनेक योजनाओं को लागू किया गया। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण जैसे अधिनियम तैयार किये गये। साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया, तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जरिये संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम और देश में स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना ने देश में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि इसके लिये ऐसी स्थानीय सरकारी संस्थाओं के उच्च आर्थिक विकास के युग में समावेश को बढ़ावा देने के लिए धुरी बनाया जाए। धन के पुनर्वितरण और सार्थक रोजगार सृजन के जरिये एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच बनाने के लक्ष्य के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता विकासशील देशों में बढ़ती जा रही है। अगस्त 2005 में लागू

एनआरईजीए यानी नरेगा जो विश्व की एक मात्र योजना थी जो कि प्रत्यक्ष रूप से लाभ और गारंटी के तौर पर 100 कार्य दिवस रोजगार देने की गारंटी देती है। अतः

□ समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्रस्तुत अध्ययन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में मनरेगा के माध्यम से सशक्तिकरण के स्तर का आकलन करने के लिये किया गया है।

साहित्य सर्वेक्षण : नरेगा समीक्षा भारत सरकार की निजी पहल पर कराये गये कार्य की समीक्षा के तौर पर प्रकाशित की गई है जिसमें मनरेगा से सम्बन्धित अलग अलग राज्यों की समीक्षा कराई गई है इसके अध्ययन के बाद मालूम होता है कि मनरेगा एक कारगर योजना सिद्ध हो रही है जिसमें अधिकतर संतोषजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। इस पुस्तक में कई ऐसे शोध पत्र भी शामिल किये गये हैं जिसमें मनरेगा के क्रियान्वयन के आँकड़े दर्शाये हैं।¹

मनरेगा अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् 2012 में भारत सरकार द्वारा कराये गये समीक्षात्मक अध्ययन में इस पुस्तक में मनरेगा के सफल संचालन की बात की गई कुछ राज्यों के जिलों को अगर छोड़ दे तो लगभग सभी राज्यों ने लाभ को गरीबों तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाने वाली योजना बताया।²

NREGA : Issues And Challenges आर. एस. सिंह ने स्वतंत्रता के बाद अब तक सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं एवं उसके अध्ययनों में कुल 128 अध्ययन को बतलाया है और यह भी माना है कि आज तक जो भी सामाजिक विकास या गरीबी उन्मूलन के सम्बन्धित विषय में योजनाओं का संचालन हुआ है उन सभी योजनाओं में मनरेगा स्थान का सबसे ऊँचा है और यह एकमात्र ऐसी योजना साबित हुई जिससे भारत के गरीब या जरूरतमंद लोगो को प्रत्यक्ष लाभ मिल पाता है। इसका संचालन एक गरीब परिवार की उम्मीद की एक किरण है जो हर रोज अपने परिवार को चलाने के लिये रोजगार की तलाश करता है।³

Rural Development मनरेगा के सफल संचालन के बारे में डॉ. सहदेव लिखते हैं कि इस योजना से गाँव की आधारभूत संरचना में बदलाव आया है। इतना ही नहीं सहदेव ने अपनी इस पुस्तक में मनरेगा की जो तारीफ की वह इस योजना के क्रियान्वयन के जो परिणाम आये हैं उन्हीं का परिणाम है। इस पुस्तक में दिये गये आँकड़े दर्शाते हैं कि वास्तव में अगर कोई लाभ प्रत्यक्ष रूप से गरीब व्यक्ति तक पहुंचता है तो वो है मनरेगा।⁴

MGNREGA: Act एन. पी. अब्दुल एवं एस एम

जावेद ने जो विभिन्न राज्यों से मिली जानकारी एवं मनरेगा से आये परिवर्तन की चर्चा की है। इन्होंने मनरेगा के संचालन के प्रति संदेह व्यक्त किया गया है। इसमें कहा कि मनरेगा ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। इन्होंने कहा कि मनरेगा हो या अन्य योजना हो जो राजनैतिक चक्कर में आ जाती है उसका संचालन सफल नहीं हो सकता। मनरेगा जैसी तो नहीं परन्तु हां मनरेगा के समान समाज कल्याण में कितनी योजनाएँ चलाई गई एक निश्चित समय के लिये चली भी परन्तु सरकार बदलने के साथ साथ उनको भी बदल दिया गया या फिर किसी अन्य योजना के साथ जोड़ दिया गया या फिर उसको समाप्त कर दिया।⁵

India Rural Development Report व्यक्ति जब भी कोई नयी चीज खोजता है तो निश्चित ही उसके मन में एक नया विचार उत्पन्न होता है मनरेगा भी एक ऐसी योजना है कि जितने भी शोध हुए या हो रहे हैं उनमें सबके अलग अलग मत पाये गये हैं। इस पुस्तक में भी उपर दिये आँकड़ों या सारांश से बिल्कुल अलग है इनका मानना है कि मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जो कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ दे रहीं हैं एवं 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी ले रहीं हैं। विश्व में आज तक ऐसे कोई कानून नहीं बनाया गया। इसका सफल संचालन ही आर्थिक समृद्धी हो सकती है।⁶

अम्बाटे पी. के अनुसार मनरेगा से सम्बन्धित भारतीय संविधान के तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जरिये संविधान के 73 वे संशोधन अधिनियम और देश में स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना ने देश में लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है।⁷

बनर्जी के. और पी. साहा के अनुसार एनआरईजी अधिनियम के तहत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के जोर-शोर से प्रचारित इस कार्यक्रम का लक्ष्य पिछड़े इलाकों में विकास की कुछ कठिनाइयों को दूर करना है।⁸

अध्ययन का उद्देश्य :-

1. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सशक्तिकरण प्रतिमानों का अध्ययन करना है।

परिकल्पना :-

1. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होने से प्रवजन में कमी हुई है।
2. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है।

अध्ययन का क्षेत्र : प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र मध्य प्रदेश का सागर जिला जो कि प्राचीन कालील इतिहास से भरपूर जिसमें एरण की गुफाओं रहली का सूर्य मंदिर एवं आफचंद की प्राचीन गुफाओं के साथ-साथ अनेक तरह की पहचान से युक्त मध्य प्रदेश की राजधानी से लगभग 200 किमी. दूर है सागर जिले की पहचान स्टील उद्योग एवं शिक्षा के क्षेत्र में डॉ हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा विकास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, एवं मनरेगा में ग्रामीण विकास से लेकर कृषि, पशु पालन, मछली पालन, वृक्षारोपण, मेड़ बंधान, एवं अन्य कार्य किये जा रहे हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। मनरेगा से व्यक्तियों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किये जा रहे हैं जिससे सशक्तिकरण के स्तर में वृद्धि हुई है।

शोध पद्धति : प्रस्तुत अध्ययन मध्य प्रदेश के सागर जिले की चयनित रहली तहसील के अन्तर्गत आने वाली 91 ग्राम पंचायतों में से 03 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति के 655 परिवारों का 10 प्रतिशत अर्थात् 65 परिवारों एवं अनुसूचित जनजाति के 413 परिवारों का 10 प्रतिशत अर्थात् 41 परिवारों के कुल 106 उत्तरदाताओं पर आधारित है जिनमें 50 प्रतिशत अर्थात् 53 उत्तरदाता महिलाओं के रूप में है जिनका चयन दैव निदर्शन की लाटरी पद्धति द्वारा अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची एवं द्वितीय तथ्यों का संग्रहण पुस्तकों, शोध पत्र, पत्रिका, समाचार पत्रों एवं मासिक और वार्षिक पत्रिकाओं एवं गूगल एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी स्रोत का सहारा लिया गया है, इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

निदर्शन का आकार :- कुल 03 ग्राम पंचायतों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों का चयन कर उनका साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से मनरेगा की कार्य शैली एवं उससे लाभ की प्रक्रिया से लेकर अनेक

प्रश्नों के माध्यम से सूचना एकत्रित करके निष्कर्ष प्राप्त किया गया।

योजना का परिचय : भारत सरकार की महात्माकांक्षी योजना नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) जो वर्तमान समय में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के नाम से जानी जा रही है, दिनांक 25 अगस्त 2005 को एक कानून के रूप में पारित हुई। इस कानून के तहत भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की कानूनी गारंटी है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना का क्रियान्वित करेगा।⁹

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश में 02 फरवरी 2006 में लागू हुई एक ऐसी परियोजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को उसकी मांग पर सौ दिन दिवस के रोजगार की गारंटी देने वाले अधिनियम को लागू करती है। वस्तुतः यह रोजगार को एक कानूनी अधिकार बनाते हुए राज्य को अपने नागरिकों को रोजगार देने के लिये कानूनी रूप से बाध्य है। यह योजना प्रथम चरण में 200 जिलों में तथा द्वितीय चरण में 130 अतिरिक्त जिलों में एवं 01 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू की गई।¹⁰

वेतन भुगतान:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को उसके कार्य का भुगतान से सम्बन्धित अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार वेतन मिलेगा अनुसूची अनुच्छेद 6 में किसी भी सूरत में मजदूरों को निर्धारित मजदूरी से कम का भुगतान नहीं किया जायेगा। अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत पुरुष/महिला को समान वेतन दिया जायेगा। वेतन भुगतान में 15 दिन से अधिक समय लगने पर मजदूर अपने मुआवजे की मांग अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर सकता है। यह मुआवजा राज्य सरकार के कोष से चुकाया जायेगा।

एनआरईजीए (जम्मू एवं कश्मीर विस्तार) विधेयक, 2007

अधिनियम को जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू करने के लिए एनआरईजीए अधिनियम के अनुच्छेद 1(2) में संशोधन करने के उद्देश्य से 7.3.2007 को लोक सभा में 'एनआरईजीए (जम्मू एवं कश्मीर विस्तार) विधेयक, 2007' के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। 19.

3.2007 को लोक सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया गया और विचारार्थ राज्य सभा को भेज दिया गया था। राज्य सभा ने भी 27.4.2007 को यह विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक पर 11.5.2007 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी और 12.5.2007 से उसे जम्मू एवं कश्मीर में लागू कर दिया गया है।¹¹

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब महात्मा गांधी के नाम पर

नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार 02 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर देश के सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया।

एनआरईजीए का दायरा : यह कानून केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया है और अधिसूचना की तारीख के बाद 5 साल के भीतर इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। पहले चरण में इस कानून को देश के 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था।¹²

वित्त पोषण

निम्नलिखित के मद में आने वाली लागत केंद्र सरकार वहन करेगी :

1. अकुशल शारीरिक श्रमिकों के वेतन की पूरी लागत।
2. सामग्री लागत तथा कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों के वेतन का 75 प्रतिशत अंश।
3. प्रशासकीय व्यय जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जिनमें कार्यक्रम अधिकारी तथा उसके सहायक कर्मचारियों का वेतन व भत्ते तथा कार्यस्थल सुविधाओं की लागत शामिल होगी।
4. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद के खर्चे।

निम्नलिखित व्यय राज्य सरकार को वहन करने होंगे:

1. सामग्री की लागत तथा कुशल व अर्द्धकुशल मजदूरों के वेतन का 25 प्रतिशत अंश।
2. यदि राज्य सरकार समय पर मजदूरी आधारित रोजगार मुहैया नहीं करा पाती है तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान।
3. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासकीय खर्चे।

क्रियावन्धन के मूल सिद्धांत :-

परस्पर सहभागिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व : इस अधिनियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, पंचायतों और स्थानीय समुदाय के बीच पारस्परिक सहभागिता की कल्पना की गई है। मोटे तौर पर कहा जाए तो इस

कानून के तहत क्रियान्वयन संबंधी मुख्य गतिविधियों गांव और ब्लॉक के स्तर पर केंद्रित रहेंगी जबकि योजना के समन्वयन से संबंधित गतिविधियां ब्लॉक और जिला स्तर पर सपन्न होगी। योजना के नियोजन, देख-रेख और निगरानी का काम सभी स्तरों (गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य) पर समानांतर रूप से चलेगा। प्रत्येक स्तर के संबंधित अधिकारी/ निकाय जन समुदाय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

सामुदायिक सहभागिता : समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व संस्थागत स्तर पर वैधानिक रूप से ग्राम सभा को सौंपा गया है। लेकिन सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य पद्धतियों का भी सहारा लिया जा सकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्थानीय चौकसी एवं निगरानी समितियों, श्रमिक संगठनों का भी गठन किया जा सकता है। पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

पंचायतों की भूमिका : प्रत्येक स्तर पर मौजूद पंचायतें ' अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन करने वाला प्रधान निकाय' होंगी (एनआरईजीए, अनुच्छेद 13 (1) जहाँ संविधान का भाग 9 लागू नहीं होता वहाँ ये जिम्मेदारियाँ संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय परिषदों/प्राधिकरणों को सौंपी जायेगी।

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी : जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) योजना को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू करने के जिम्मेदार होंगे।

विभिन्न ऐजेंसियों के बीच समन्वय : विभिन्न स्तरों पर गठित पंचायतों के अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा। इसी प्रकार पंचायतों तथा जिला/ब्लॉक प्रशासन को भी मिलाकर काम करना होगा। प्रत्येक आरईजीएस में किसी भी गतिविधि के समन्वय हेतु, उसके संदर्भ के अनुसार एक स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था को उल्लेख करना होगा।

अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक संरचना

अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित 03 ग्राम पंचायतों की सामाजिक स्थिति को समझने के लिये सम्मिलित ग्राम पंचायतों की जाति संरचना एवं पारिवारिक संरचना को समझना आवश्यक होगा। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों के सचिव एवं सम्बन्धित

पटवारियों द्वारा प्राप्त आकड़ों को हम इस प्रकार देख सकते हैं।

ग्राम पंचायतवार मनरेगा में कार्यरत् परिवारों की संख्या

जाति	खैराना	सहजपुरी	छुल्ला
सामान्य वर्ग	326	59	122
पिछड़ा वर्ग	118	206	289
अनुसूचित जाति	238	249	168
अनुसूचित जनजाति	22	282	109
अल्प संख्यक	08	...	10
कुल	712	796	698

तालिका संख्या-01

मनरेगा के संबंध में जानकारी के आधार पर

जानकारी है	महिला	पुरुष	आवृति	प्रतिशत
हैं	48	51	99	93.40
नहीं	05	02	07	6.60
कुल	53	53	106	100

उपर्युक्त तालिका के आधार पर कहा जा सकता है कि 93 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता मनरेगा संबंधी जानकारी रखते हैं, जिसमें मनरेगा जाव कार्ड, मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी, भुगतान का माध्यम, या मजदूरी पाने के लिये जो भी कार्यवाही होती है, एवं एक वित्तीय वर्ष में रोजगार दिवस की संख्या जैसी सामान्य जानकारी रखते हैं। सिर्फ 6 प्रतिशत उत्तरदाता मनरेगा तो समझते हैं लेकिन उसकी अन्य जानकारी ज्ञात नहीं है।

तालिका संख्या -02

मनरेगा की कार्य शैली से संबंधित प्रश्न

कार्यशैली कैसी है	महिला	पुरुष	आवृति	प्रतिशत
अच्छी	18	21	39	36.80
बहुत अच्छी	14	09	23	21.70
सामान्य	20	21	41	38.67
अच्छी नहीं है	01	02	03	2.83
कुल	53	53	106	100

मनरेगा की कार्य शैली को लेकर उत्तरदाताओं से किये गये सवाल पर लगभग सभी उत्तरदाताओं ने एक ही बार में कहा अच्छी है, जब इसको और विस्तार से पूछा गया तो 36.80 प्रतिशत उत्तरदाता सिर्फ अच्छी योजना के रूप में व्यक्त करते हैं, ये वे उत्तरदाता हैं जो अपने गाँव या शहर के बाहर और साथ ही मनरेगा में कार्य करते हैं। 21.70 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि बहुत अच्छी

योजना है ये वह उत्तरदाता हैं जिनका आजीविका का साधन मात्र मजदूरी है। 38.67 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य की बात करते हैं ऐसे उत्तरदाताओं के पास अपना परिवार चलाने के लिये कृषि योग्य भूमि है या फिर अपना कोई छोटा-मोटा धंधा है। शेष 2.83 प्रतिशत उत्तरदाता इसको अच्छा नहीं मानते ऐसे उत्तरदाताओं को मनरेगा में रोजगार की आवश्यकता नहीं है।

तालिका संख्या -03

मनरेगा के मजदूरी भुगतान संबंधी प्रश्न

समय पर भुगतान	महिला	पुरुष	आवृति	प्रतिशत
हैं	43	46	89	83.97
नहीं	10	07	17	16.03
कुल	53	53	106	100

मनरेगा में किये गये परिश्रम का भुगतान के संबंध में लगभग 83.97 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि मनरेगा में अन्य जगह के अपेक्षा भुगतान समय पर और सही तरीके से किया जाता है। सिर्फ 16 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं भुगतान में कुछ समस्याएँ आती हैं, यह वे उत्तरदाता हैं जो अपने लेनदेन में कैश को पसंद करते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना पसंद नहीं करते हैं।

तालिका संख्या -04

मनरेगा में समान मजदूरी के आधार पर जानकारी

मजदूरी से संतुष्टी	महिला	पुरुष	आवृति	प्रतिशत
हैं	43	23	66	62.26
नहीं	10	30	40	37.74
कुल	53	53	106	100

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मनरेगा में परिश्रम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जिसमें 62.26 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि भुगतान सही किया जाता है परन्तु 37.74 प्रतिशत उत्तरदाता इस भुगतान से संतुष्ट नहीं हैं, यह वे उत्तरदाता हैं जो कुशल मजदूर श्रेणी में आते हैं, अर्थात् या तो मिस्त्री हैं या अन्य कार्य में निपुण हैं जिनको मनरेगा की अपेक्षा अन्य जगह उसका अधिक भुगतान किया जाता है।

तालिका संख्या -05
मनरेगा से आय में वृद्धि के आधार पर
उत्तरदाताओं का विवरण

आय में वृद्धि	महिला	पुरुष	आवृत्ति	प्रतिशत
हैं	42	35	77	72.64
नहीं	11	18	29	27.36
कुल	53	53	106	100

उपर्युक्त तालिका में उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तरों के आधार पर कहा जा सकता है कि 72.64 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने यह माना है कि मनरेगा के अलावा और कहीं परिश्रम करने जाते हैं तो पैसा भले ही ज्यादा मिल जाये लेकिन लेकिन आर्थिक रूप से परेशान तो रहते ही हैं साथ में अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जैसे रहने की समस्या, प्रतिदिन मजदूरी, एवं अधिक परिश्रम जैसी अनेक परेशानी होती है। मनरेगा में इन परेशानी से दूर रहते हैं जिससे आर्थिक बचत होती है। इस प्रकार मनरेगा से सूचनादाताओं की आय में वृद्धि होती है अर्थात् उनके आर्थिक स्तर में सुधार होता है। इस निष्कर्ष से अध्ययन की उपकल्पना 'मनरेगा से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है' की पुष्टि होती है।

तालिका संख्या-06

प्रवजन के संबंध में उत्तरदाताओं से जानकारी का विवरण

पर्याप्त मजदूरी/ अन्य जगह कार्य	महिला	पुरुष	आवृत्ति	प्रतिशत
मनरेगा में पर्याप्त काम मिलता है	40	30	70	66.03
मनरेगा में कार्य करते हैं और स्वयं का कोई व्यवसाय है	13	23	36	33.97
कुल	53	53	106	100

तालिका संख्या 6 के आधार पर 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि मनरेगा के पहले हम गाँव के गरीब लोग रोजगार की तलाश में जगह-जगह भटकते थे परन्तु जब से मनरेगा शुरू की गई उसके बाद कुछ ही लोग काम करने के लिये बाहर जाते हैं, नहीं तो हमारे गाँव में हम लोगों को मजदूरी मिल जाती है। 33.97 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो खाली समय में मनरेगा का कार्य करते हैं, एवं स्वयं का कोई व्यवसाय करते हैं जिनमें अधिकतर महिलाएं

समूह द्वारा ऋण लेकर कार्य करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मनरेगा के पहले गाँव के गरीब लोग रोजगार की तलाश में जगह-जगह भटकते थे परन्तु मनरेगा के पश्चात कुछ ही लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं अन्यथा लोगों को काम की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ता अर्थात् प्रवर्जन रुकता है। इससे अध्ययन की उपकल्पना 'मनरेगा से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्धि होने से प्रवजन में कमी हुई है' संपुष्ट होती है।

निष्कर्ष : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अध्ययन क्षेत्र में संचालित है जिससे यहां के निवासियों को इस योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे मजदूरी करने वाले परिवारों को एक अच्छा और मजबूत सहारा मिला है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मूल्यांकन के दौरान अगर पंचायतवार देखा जाये तो यहां की उपलब्धता अलग-अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पंचायत में उत्तरदाताओं ने अपने-अपने मतानुसार उत्तर में कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कहीं-कहीं योजना के अनुसार 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाता। पूरे अध्ययन क्षेत्र में सबसे प्रमुख बात यह देखने को मिली कि प्रत्येक पंचायत में यह जानने पर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आपको कैसी लगी तो उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना बहुत ही अच्छी है पर इसमें एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार का बंधन ठीक नहीं है क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार में कम से कम चार से पांच वयस्क सदस्य होते हैं। अगर इन 100 दिनों को पांच सदस्यों में बाँट दिया जाये तो एक परिवार के एक सदस्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वर्ष में सिर्फ 20 दिन ही रोजगार मिल पाता है। जो कि बहुत ही कम है। मूल्यांकन में उत्तरदाताओं के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बहुत बड़ी योजना है जो इससे पूर्व संचालित योजनाओं में इससे ज्यादा लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले उत्तरदाता यह मानते हैं कि मनरेगा में कोई व्यक्ति अपने श्रम करने के लिये तैयार है और वह ग्राम पंचायत पर अपनी मांग करता है तो उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मूल्यांकन में मजदूर वर्ग 80 प्रतिशत उत्तरदाता

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अधिक लाभ वाली योजना के रूप में देखते हैं परन्तु इसकी 100 दिन की प्रतिबद्धता अच्छी नहीं लगती हैं। समस्त मूल्यांकन से यह कहा जा सकता है कि उपर दी

सारणी में उत्तरदाओं के जो मनरेगा के प्रति मत प्राप्त हुये है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, एवं स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि हुई है।

सन्दर्भ

1. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा (वार्षिक) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार -2005, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्रकाशन, नई दिल्ली पृ. 56, 86
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्रकाशन नई दिल्ली 2012 पृ.122
3. Singh S.R. 'Nation Rural Employment Guarantee Act (NREGA) : Issues And Challenges, Publisher :APH, 2011, p.96
4. Medhe Sahadeo, 'Rural Development Through Employment Guarantee Scheme Publisher: Oxford book Company, 2014 p.95, 223
5. AbdulAzeez N. P, S.M. JawedAkhtar, 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act' (MGNREGA) Publisher: New Century Publication, 2015 p. 102
6. IDFC Rural Development Network, India Rural Development Report, 2012-2013 Orient Blackswan Publisher, 2013 p.116
7. Amte, P., 'MGNREGA and Rural Governance Reform: Growth and Inclusion Through Panchayat', Paper for International Conference on Dynamics for Rural Transformation in Emerge Economics- Yojna Aayog, India and Human Development New Delhi - 14-16 April 2010.
8. Banarji k. and P. Saha, 'The NAREGA, THE Maoust and The Developmental Views of The Indian State', EPW, Section 65, page 28, 10 July 2010
9. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 प्रतिवेदन 2 फरवरी 2012 ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली, पृ. 3
10. Aiyer Y. and M. Shaymji, 'Guarantee and Governance: Understanding the Effectiveness of Accountability in NAREGA: Design Process and Impact' Ministry of Rural Development, New Delhi Govt. of India, 2009,
11. यादव महेन्द्र सिंह, 'मनरेगा के माध्यम से मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का विकास', राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा वर्ष 22 अंक 1 जनवरी-जून 2020 पृ. 57
12. कुमार श्याम (उद्धृत), 'महिला सशक्तीकरण में मनरेगा की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', राधाकमल मुकर्जी : चिंतन परंपरा, वर्ष 18 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2016, पृ.146